

विरूद्ध जनजागरूकता गतिवाधियों के आयोजन सहित संस्थाओं के अनिरीक्षण और पुनर्वास के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि विभिन्न स्थानांओं, ढाबा, होटलों, भग्नों ईस्ट इत्यादि में बाल श्रमिकों को नियोजित पाए जाने पर नियंत्रक के विरूद्ध बाल कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के संशोधित कड़ी सजा का प्रस्तावना है। इसमें न्यूनतम 6 माह से 2 वर्ष का कारावास या न्यूनतम 20 हजार रूपये से अधिकतम 50 हजार तक का अल्पदण्ड अथवा दोनों से सजाओं से निर्दिष्ट किया जा सकता है।